	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 27, सोमवार, *शाके* 1941–नवम्बर 18, 2019	
	Kartika 27 Monday, Saka 1941–November 18, 2019	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञाएँ

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 15, 2019

संख्या प. 16 (05) गृह-9/2018 :-यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला जयपुर तहसील फागी ग्राम मोहनपुरा में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संस्थान को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला जयपुर तहसील फागी ग्राम मोहनपुरा में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संस्थान को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद् स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र. स.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	फागी (जयपुर)	मोहनपुरा	खसरा संख्या 725/1	रकबा 177 बीघा	खसरा संख्या 725/783 रकबा 5 बीघा व खसरा नम्बर 721 रकबा 3.05 बीघा आईओसी की खातेदारी भूमि	ग्राम चितौडा की चारागाह भूमि जो जेडीए के नाम दर्ज है।	खसरा संख्या 725/802 रकबा 7 बीघा गोपाल बैरवा निवासी प्रताप नगर सांगानेर के नाम दर्ज	खसरा संख्या 638/2 रकबा 99 बीघा किस्म चारागाह भूमि

राज्यपाल की आज्ञा से,

पी.सी. बेरवाल,

विशिष्ठ शासन सचिव

गृह विभाग।

1952

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।